परिपत्र सं. 10/09

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–6(निरी.)/पमु./09/ 518–874 अजमेर दिनांक : 10-8-09

समस्त उप पंजीयक,
(पूर्णकालीन/पदेन),
राजस्थान।

परिपत्र

राज्य में जिलों के राष्ट्रीय व राज्य मार्गो तथा मेगा हाईवेंज पर स्थित कृषि भूमि के दस्तावेजो के मूल्यांकन हेतु जिला स्तरीय समितियों द्वारा इन मार्गो से कुछ दूरी तक की भूमियों यथा 100–200–500 मीटर आदि पर स्थित भूमियो के लिये तथा उसके बाद स्थित भूमि की की अलग–अलग दरें निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से दर निर्धारण पेराफेरी ग्रामों के लिये भी किया जाता है।

अभी हाल ही में जिन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है, उन कार्यालयों में या तो इन मार्गो अथवा पेराफेरी व आबादी के साथ लगती भूमि का विवरण नही था, अथवा भूमि विवरण से यह ज्ञात नही होता है कि कौन सी भूमि इन मार्गो से कितनी दूरी पर हैं।

इससे सम्भावना ध्यान में आयी है कि पक्षकारों द्वारा नेशनल हाईवें/स्टेट हाईवे/मेगा हाईवे के 100–200–500 मीटर आदि दूरियों में स्थित भूमियो अथवा पेराफेरी क्षेत्र अथवा आबादी की भूमि को मुद्रांक शुल्कापवंचना के उद्देश्य से विलेखों के साथ प्रस्तुत चैक लिस्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/मेगा हाईवे से 100–200–500 मीटर अथवा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित अन्य दूरियों व आबादी या पेराफेरी से दूर लिखकर दस्तावेज पंजीयन कराये जा सकते है।

तथ्य छिपाकर शुल्कापवंचन करने की प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये जाते है कि :–

(1) जिन गाँवो/क्षेत्रों में होकर नेशनल हाईवें/स्टेट हाईवे/मेगा हाईवे गुजरते हो अथवा जो पेराफेरी क्षेत्रों हो, उन गाँवो/क्षेत्रों के इन राजमार्गो पर अथवा पैराफेरी में स्थित खसरा नम्बरों की शजरा शीट प्रति (मानचित्र) तहसील कार्यालयों से प्राप्त करें।

(2) इन खसरा नम्बरों पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा विभिन्न दरों हेतु निर्धारित विभिन्न दूरियों की रेखाएं डालकर रिकॉर्ड हेतु रखा जावें।

(3) भूमि विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर संधारित रिकॉर्ड से इस बात की जाँच कर ली जावें कि विक्रय होने वाली भूमि नेशनल हाईवें/स्टेट हाईवे/मेगा हाईवे की 100–200–500 मीटर में से अथवा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो भी सीमा निर्धारित हो, मे से किस सीमा में है अथवा पेराफेरी क्षेत्र में स्थित हैं या नही और तदानुसार जिला कमेटी द्वारा निर्धारित दर अनुसार दस्तावेजो का मूल्यांकन किया जावें।

उपरोक्त कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर–भीतर करना सुनिश्चित करावें। पालना रिपोर्ट सम्बन्धित उप महानिरीक्षक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को भिजवायें।

महानिरीक्षक, 07/8
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–6(निरी.)/पमु./09/ 875–887 अजमेर दिनांक : 10–8–09

प्रतिलिपि : अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर/समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को प्रेषित कर लेख निर्देश है कि उनके वृत्त के समस्त कार्यालयों में एक सप्ताह में उक्त कार्यवाही सम्पादित होना सुनिश्चित करें तथा विभाग को पालना से अवगत करावें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक, 10/8/09
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर